आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
18.09.2020	**न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया** उत्पाद वाद संख्या-248/2020 राज्य बनाम 1. मिथुन कुमार यादव, पिता मुनी लाल यादव, सा0-मझुआ बरसौनी, थाना-सदर, जिला-पूर्णिया। (जप्त मोटर साईकिल चेचिस सं0-MD2A12PYSKCA02290 इंजन सं0- DJYCKA70961 के स्वामी ।) **आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अधीक्षक, मद्य निषेध, पूर्णिया के पत्रांक 628/म0नि0 दिनांक-03.05.2020 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि उक्त वाहन की जांच दिनांक 14.06.19 को समेकित जाँच चौकी दालकोला के पास की गई। जांच के क्रम में उक्त वाहन से 13.500 लीटर विदेशी शराब पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पूर्णिया के न्यायालय में सी0आई0 सं0-114/2019 दर्ज कराई गई। अधीक्षक, मद्य निषेध, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है। विपक्षी द्वारा समर्पित कारणपृच्छा का अवलोकन किया। विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना अन्तर्गत दायर सी0डब्लू0जे0सी0सं0-4478/2020 में पारित आदेश दिनांक 09.07.20 का जिक्र करते हुए उल्लेख किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 03 माह के अन्दर वाद निष्पादित करने का निदेश दिया गया है। विपक्षी द्वारा उक्त पारित आदेश के पेज सं0-23 का जिक्र करते हुए जप्त वाहन मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी से प्राप्त कारणपृच्छा, अधीक्षक, मद्य निषेध, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है तथा जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन हेतु किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने कारणपृच्छा में जप्त शराब के संबंध में किसी प्रकार का तथ्य नहीं लाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त आदेश के आलोक में वाहन मुक्त करने का निदेश नहीं है, अपितु 03 माह के अन्दर वाद निष्पादित करने का निदेश प्राप्त है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बावजूद जप्त	

वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त मोटर साईकिल चेचिस सं0-MD2A12PYSKCA02290 इंजन सं0- DJYCKA70961** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक, मद्य निषेद्य, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्य निषेद्य, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

विपक्षी यदि पारित आदेश से असंतुष्ट हैं तो अपीलीय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त, बिहार के न्यायालय में 90 (नब्बे) दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

28/09

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।